यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्राचार्या, दयानन्द महिला प्रशिक्षण महाविध्यालय, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्राचार्या, दयानन्द महिला प्रशिक्षण महाविध्यालय, देहरादून** के माह 07/2017 से 08/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री विजय पाल सिंह नेगी व॰ लेखापरीक्षक, श्री जितेंद्र सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री देवेंद्र कुमार दिवाकर सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 15-09-2020 से 21-09-2020 तक श्री शरत श्रीवास्तव वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री एस॰के॰सिन्हा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री सलीम खान, व॰ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 22/09/2014 से 08/10/2014 तक श्री रमेश मिश्रा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 11/2002 से 08/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः

(अ) **प्राचार्या, दयानन्द महिला प्रशिक्षण महाविध्यालय, देहरादून** का मुख्य कार्यकलाप छात्राओ को बी॰एड॰ प्रशिक्षण प्रदान करना है।

(ब) **प्राचार्या, दयानन्द महिला प्रशिक्षण महाविध्यालय, देहरादून** के अन्तर्गत बी॰एड॰ शिक्षा के अंतर्गत आने वाले सभी क्रिया कलापों का प्रशिक्षण दिया जाता है।

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**	**आवंटन**	**व्यय**	**आधिक्य**	**बचत**
2017-18	-	112.12	112.12	-	-
2018-19	-	119.94	119.94	-	-
2019-20	-	157.08	157.08	-	-
2020-21 (08/2020)	-	76.98	76.98	-	-

नोट:- वेतन बजट महाविध्यालय के आहरण वितरण अधिकारी उप निदेशक उच्च शिक्षा क्षेटिया कार्यालय देहारादून द्वारा आहरित किया जाता है जो राशि अवशेष रहती है वह उपनिदेशक उच्च शिक्षा द्वारा सीधे शासन को वापस कर दिया जाता है।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	बचत (-)
2018-19	**NIL**				
2019-20					
2020-21 (08/2020)					

(ii) इकाई को बजट राज्य सरकार से प्राप्त होता है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव - प्राचार्य - प्रशासनिक अधिकारी

3. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **प्राचार्या, दयानन्द महिला प्रशिक्षण महाविध्यालय, देहरादून** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्राचार्या, दयानन्द महिला प्रशिक्षण महाविध्यालय, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 10/2019 एवं 08/2020 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि के आधार पर किया गया।

4. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग 2'ब'</u>

प्रस्तर01:- छात्रवृत्ति आवेदन में कमियों को दूर किए बिना सत्यापन का प्रमाणपत्र निर्गत किया जाना ।

उत्तराखंड शासन के पत्रांक संख्या 1197/xvii-4/2015-01(82)/2014 दिनांक 15 जुलाई 2015 के अंतर्गत वर्ष 2015-16 से कक्षा 9-12 एवं उससे ऊपर की कक्षाओं में अधध्यनरत अनुसूचित जाति/जनजाति/विकलांग एवं अन्य पिछड़ी जाति के छात्राओं हेतु संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं को ऑनलाइन करने का निर्णय लिया गया था । छात्राओं को ऑनलाइन आवेदन करते समय निम्न अभिलेख जैसे छात्र का पासपोर्ट साइज़ का नवीनतम फोटो, संबन्धित शिक्षण संस्थान द्वारा निर्गत छात्रा का बोनाफाइड सर्टिफिकेट, अंतिम उत्तीर्ण परीक्षा का प्रमाण-पत्र/मार्क्स शीट तथा किसी भी सी०बी० एस० बैंक की पास बुक का प्रथम पेज जिसमें छात्र का नाम/पता/बैंक एकाउंट संख्या एवं बैंक का आई०एफ़०एस०सी० कोड स्पष्ट रूप से दर्ज हो, की स्वप्रमाणित प्रतियों को अपलोड करना आवश्यक होगा । जिसका सत्यापन संबन्धित महाविद्यालय को किया जाना था ।

वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के अभिलेखों की नमूना जांच में आवेदन में निम्न कमियाँ पायी गयी। जिसको महाविद्यालय द्वारा गठित दल द्वारा दूर किए बगैर आवेदन सत्यापित किया गया। आवेदित अभ्यर्थियों जिसके आवेदन में कमियाँ पायी गयी। निम्नलिखित थी-

1. वर्ष 2015-16 में कु० वर्चा पुत्री श्री प्रमोद कुमार नामांकन संख्या G0933915 द्वारा आवेदन करते समय मिस आकांशा पुत्री श्री प्रमोद कुमार चोपड़ा का बैंक खाता संख्या दिया गया था। जबकि उत्तराखंड शासन के उक्त पत्रांक के अनुसार बैंक खाता संख्या आवेदित छात्रा का ही होना चाहिये था।
2. वर्ष 2016-17 में कु० विजय लक्ष्मी पुत्री श्री सुंदर लाल मिश्रा नामांकन संख्या G10296106 ने ओबीसी जाती का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। मिश्रा जाती का सत्यापन किए बगैर की यह जाती ओबीसी के अंतर्गत आती है या नहीं मात्र छात्रा द्वारा संलग्न ओबीसी का प्रमाणपत्र के आधार पर सत्यापित कर दिया गया ।
3. वर्ष 2016-17 में कु० अनिशा रावत पुत्री श्री जनक सिंह नामांकन संख्या G13267004 ने पास बुक में दर्ज खाता संख्या को परिवर्तन कर हाथ से नया खाता संख्या लिखा गया । हाथ से लिखे खाता संख्या का सत्यापन किए बगैर आवेदन को सत्यापित कर दिया गया था।

उक्त कमियों के सम्बन्ध में पूछे जाने पर बताया गया की संबन्धित छात्राओं से संपर्क कर वस्तु स्थिति की जानकारी ली जा रही है। पता चलने पर लेखापरीक्षा को उपलब्ध करा दिया जाएगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि महाविद्यालय को आवेदन सत्यापित कराते समय ही सभी बिन्दुओं पर गंभीरता से जांच की जानी चाहिए थी। जो नहीं की गयी । प्रकरण तीन से चार वर्ष पुराना है। छात्राओं को छात्रवृत्ति मिल भी गयी होगी। इतने वर्षों बाद पुन: जांच कर निर्णय लिया जाना सत्यापन जैसे कार्य को गंभीरता से न लिया जाना दर्शाता है।

अत: छात्रवृत्ति आवेदन में कमियों को दूर किए बिना सत्यापन किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

<u>भाग 2'ब'</u>

प्रस्तर02:- महाविद्यालय द्वारा त्रुटिपूर्ण शपथ पत्र के आधार पर मान्यता प्राप्त किया जाना ।

वर्ष 2000 में बी०एड० पाठ्यक्रम की मान्यता हेतु कुछ शर्तों के साथ एक वर्ष के बी०एड० (80 सीट) के लिए मान्यता दी गयी थी । जिसमें बिन्दु संख्या 07 के अनुसार NCTE मानक के अनुसार अर्धशासकीय संस्था endowment और reserve fund रखेंगे। पुन: बी०एड० पाठ्यक्रम 02 वर्ष हेतु संसोधित होने पर संसोधित मान्यता हेतु जुलाई 2015 में एनसीटीई को शपथ पत्र निर्गत किया गया था । जिसमें सभी मानकों जैसे endowment और reserve fund को पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया था। जिसमें एफ़डीआर के रुप में रु 7.00 लाख reserve fund और रु 5.00 लाख endowment fund को रखा जाना था । डीडबल्यूटी महविद्यालय द्वारा दिये गए शपथ पत्र के आधार पर एनसीटीई और कुलपति हेमवती नन्दन बहुगुणा द्वारा क्रमश: संस्तुति एवं स्वीकृति इस प्रतिबंध के साथ दी गयी थी की एनसीटीई के पत्र संख्या-फ/नो/NRC/NCTE/यूपी-32/2015/119464 दिनांक 28 जुलाई 2015 के पैरा 5 एवं 7 में अंकित प्रतिबंधों को पूर्ण करना होगा ।

अभिलेखों के निरीक्षण में यह पाया गया की डबल्यूटीई द्वारा शपथ पत्र देने के पश्चात भी पैरा 07 के बिन्दु संख्या 07 के अनुसार endowment और reserve fund को नहीं रखा गया और त्रुटिपूर्ण शपथ पत्र के आधार पर संसोधित मान्यता प्राप्त की गयी। इस सम्बन्ध में इकाई से पूछने पर बताया गया की प्रबंध समिति को उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में अवगत कराया जा रहा है। उत्तर मिलने पर प्रेषित कर दिया जायेगा ।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि मान्यता के समय प्रधानाचार्य डीडबल्यूटी द्वारा शर्तों को पूर्ण करने हेतु शपथ पत्र दिया गया था । शर्तों का पूरा कराने की ज़िम्मेदारी भी डबल्यूटीई महविद्यालय की ही थी। जिसका पालन नहीं किया गया और त्रुटिपूर्ण शपथ पत्र के आधार पर मान्यता प्राप्त की गयी ।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

STAN

प्रस्तर01:- प्राचार्या द्वारा छात्रनिधियों का संचालन न किया जाना।

शासनादेश संख्या 5125/15-11-86-4ए(45)/85 दिनांक 10 जुलाई 1986 के अनुसार निम्नलिखित शुल्क जिन महाविध्यालयों मे लिया जाता है छात्रनिधियाँ मानी जायेगी और प्राचार्य के नियंत्रण मे रहेंगी। क्रीडा शुल्क, पत्रिका शुल्क, परिचय पत्र शुल्क, अध्ययन कक्ष शुल्क, वार्षिक दिवस शुल्क, परिषद शुल्क, छात्रसंघ शुल्क, प्राथमिक चिकित्सा शुल्क, निर्धन छात्र कोष, काशन मनी, एवं अन्य कोई शुल्क जो शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा छात्र निधि घोषित किया जाये। छात्रकोषो के लिए एक अथवा एक से अधिक परामर्शदात्री समिति बनाई जायेगी जिसमे छात्रों का प्रतिनिधित्व 50 प्रतिशत होगा यह समिति संबन्धित कोष के लिए प्राप्त धनराशि के व्यय हेतु प्राचार्य को परामर्श देगी, जिसके अनुसार छात्र कोष का उपयोग किया जायेगा। सभी छात्रनिधियाँ प्राचार्य के नियंत्रण मे होंगी और उन्ही के माध्यम से व्यय की जाएगी। प्राचार्य स्वयं छात्रनिधियो के रख-रखाव एवं उपभोग के लिए उत्तरदायी होंगे। प्रत्येक छात्रकोष का पृथक बचत अथवा चालू खाता किसी स्थानीय बैंक मे खोला जायेगा जो प्राचार्य द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

छात्रनिधियों से संबन्धित अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि महाविध्यालय द्वारा छात्रनिधियों के पृथक से कोई खाता नहीं खोला गया और न ही प्राचार्य द्वारा उक्त निधियो का संचालन किया जा रहा है। महाविध्यालय के अन्तर्गत छात्रनिधियो एवं फीस प्राप्ति का एक ही खाता है जिसका संचालन सचिव प्रबन्ध समिति डी॰ए॰वी॰ कॉलेज कानपुर (उ॰प्र॰) के कार्यालय से होता है। महाविध्यालय द्वारा विभिन्न मदों मे होने वाले भुगतानों का विवरण बिल सहित सचिव महोदय को प्रस्तुत किया जाता है तत्पश्चात कानपुर से चैक महाविध्यालय को प्रेषित किए जाते है। चेक प्राप्त होने के उपरान्त संबन्धित को भुगतान किया जाता है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि उक्त निधियो का संचालन केवल महाविध्यालय के प्रबंध तंत्र द्वारा ही किया जा रहा है। महाविध्यालय द्वारा छात्रों के कल्याणकारी कार्यो पर किसी भी छात्रनिधि से व्यय नहीं किया जा रहा है, केवल छात्र निधियो की धनराशि से कार्यालय के संचालन के लिए आवश्यक व्यय किया जा रहा है। पृथक से खाता न खोले जाने के कारण किस छात्रनिधि मे कितनी धनराशि अवशेष है इसका विवरण भी महाविध्यालय के पास नहीं है।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि इस सम्बन्ध मे सूचना सचिव प्रबन्ध समिति प्राचार्या, दयानन्द महिला प्रशिक्षण महाविध्यालय, देहरादून को प्रेषित की जाएगी। सूचना प्राप्त होने के पश्चात लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाएगा। इकाई ने इस सम्बन्ध मे कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया, महाविध्यालय द्वारा प्रत्येक छात्रनिधियों का पृथक खाता खोला जाना चाहिए था और उक्त खातो से छात्रों के कल्याणकारी कार्यो पर व्यय किया जाना चाहिए था, परंतु महाविध्यालय द्वारा न ही छात्रनिधियों के पृथक खाते खोले गए और न ही छात्राओ के कल्याणकारी कार्यो पर व्यय किया गया।

अतः प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर02:- पुस्तकों व पत्रिकाओं हेतु पुस्तकालय मद में उपलब्ध धनराशि रु 69360/- व्यय ना किया जाना तथा वार्षिक भौतिक सत्यापन न किया जाना ।

(i) महविद्यालय के छात्रों के लिए पुस्तकालय आवश्यक ज्ञानर्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसकी उपयोगिता उन महाविद्यालयों में और अधिक बढ़ जाती है जहां महिलाओं को बी०एड० प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कार्यालय प्राचार्या, दयानन्द महिल प्रशिक्षण महविद्यालय देहारादून की लेखापरीक्षा अवधि 09/2014 से 08/2020 के पुस्तकालय के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि महविद्यालय द्वारा वर्ष 2011 में रु 1.44 लेख कि पुस्तकों कि खरीद कि गयी तथा पत्रिका (जर्नल) के लिए वार्षिक व मासिक subscription किया गया जिसके लिए रु 17280/- का व्यय किया गया । जिन पत्रिकाओं कि लाइफटाइम सदस्यता महविद्यालय ने ली थी वे वर्तमान तक महविद्यालय क प्राप्त हो रहे हैं परंतु मासिक व वार्षिक पत्रिकाएँ वर्ष 2012 से बंद हो गयी है जिस कारण छात्राओं व शिक्षकों को ज्ञानर्जन व नयी जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है। वर्ष 2014-15 से 2019-20 तक महविद्यालय द्वारा छात्राओं से पुस्तकालय शुल्क व वाचनालय शुल्क के रुप में रु 69,360 कि धनराशि प्राप्त कि (सूची संलग्न)। इसके सापेक्ष माह मार्च 2019 में मात्र रु 17331/- समाचार पत्र व पत्रिका पर व्यय किये गए। वर्ष 2011 के बाद पुस्तकों हेतु कोई भी धनराशि का पुस्तकालय व संबन्धित मद में व्यय नहीं किया गया ।

(ii) सामान्य वित्तीय नियम 2005 नियम संख्या 194(1) के अनुसार पुस्तकालय का वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए। जांच में पाया गया कि पुस्तकालय का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं किया जा रहा है। संबन्धित जांच आख्या में आगे पाया गया कि वर्ष 2014-15, सत्र 2018-20, सत्र 2019-21 में क्रमश: 593,190 व 166 पुस्तकें पाठन हेतु जारी की गयी थी, जिसमें से पुस्तकालय को संबन्धित वर्षों की क्रमश: 02,16 व 09 पुस्तकें वर्तमान तक अप्राप्त हैं।

(iii) वर्तमान समय में पुस्तकालय का Digitalization भी अत्यंत आवश्यक है ताकि छात्राएँ अपने घर से ही आवश्यक पुस्तकों तक अपनी पहुँच बना सकें। E-library हेतु निदेशालय द्वारा महाविद्यालय की स्थिति के विषय में अवगत करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था जिसके सम्बन्ध में महाविद्यालय द्वारा दिनांक 16.10.2019 को पत्र प्रेषित किया गया था। इसके बाद E-library हेतु निदेशालय से कोई पत्राचार महविद्यालय द्वारा नहीं किया गया ।

पुस्तकालय एवं वाचनालय बहुत जर्जर अवस्था में है उसका भी जीर्णोधार नहीं करवाया गया है । इससे कभी भी किसी अप्रत्याशित दुर्घटना होने से इंकार नहीं किया जा सकता ।

संप्रेक्षा द्वारा पूछे जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा कि छात्रनिधि में धनराशि न्यून होने के कारण पुस्तकें नहीं खरीदी जा सकी । प्रबंध समिति को इस सम्बन्ध में अवगत कराकर आदेशानुसार कार्यवाही की जाएगी । पुस्तकालय का पिछला भौतिक सत्यापन वर्ष

2004 में किया गया । digitalization व E-Library की स्थापना से संबन्धित उत्तर में महाविद्यालय ने सूचित किया की पुस्तकालय में कम्प्यूटर व इंटरनेट की अनुपलब्धता है इसलिए digitalization नहीं हो पा रहा है ।

पुस्तकालय एवं वाचनालय के जीर्णोधार न करवाए जाने के उत्तर में इकाई ने बताया की प्रबंध समिति को समय समय पर अवगत कराया गया है । प्रबंध समिति द्वारा कोई निर्णय न लिए जाने के कारण जीर्णोधार का कार्य लंबित है। इकाई द्वारा जो सूचना उपलब्ध करायी गयी, के सम्बन्ध में कोई तर्कपूर्ण उत्तर नहीं दिया गया । जबकि इयकी द्वारा समय पर पुस्तकों का क्रय पुस्तकालय शुल्क व वाचनालय शुल्क के रूप में रु 69,360/- की धनराशि से किया जा सकता था । वार्षिक भौतिक सत्यापन रिपोर्ट तैयार की जाती तो पुस्तकालय के रखरखाव का संचालन सुचारु रुप से होता ।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II 'अ'**	**भाग-II 'ब'**	**STAN**
103/2014-15	1	1	1,2

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
103/2014-15	भाग 2 अ प्रस्तर संख्या 01, भाग 2 ब प्रस्तर संख्या 01 तथा STAN प्रस्तर संख्या 1,2	लम्बित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या शीघ्र ही तैयार कर प्रधान महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाएगा।		

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **प्राचार्या, दयानन्द महिला प्रशिक्षण महाविध्यालय, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) शून्य

3. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र. सं.	**नाम**	**पद नाम**	**अवधि**
1	प्रो॰ आरती दीक्षित	प्राचार्या	29.08.08 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्राचार्या, दयानन्द महिला प्रशिक्षण महाविध्यालय, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (ए.एम.जी.1) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

AMG-I